न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—70 / 2018 / 223 (2018 / 00070)

1. ओमप्रकाश पुत्र स्व0 जवाहरसिंह, जाति माली, निवासी मकान संख्या 188 / 29, मिस्त्री मोहल्ला, गुलाब बाड़ी, अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमत रज्जोदेवी पत्नि महादेव सिंह पुत्री स्व0 जवाहरसिंह, जाति माली, नि0 मकान नं0 433 / 34, पालबीछला, शिव चौक, अजमेर ।

वादिया / **रेस्पोडेंट**

2. पन्नालाल पुत्र स्व0 जवाहरसिंह, जाति माली, निवासी 60, सोमनगर—11, मधुवन, चित्तोड़गढ़ ।
3. उप पंजीयक, पंजीयन विभाग, द्वितीय जयपुर रोड़, अजमेर ।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।

प्रतिवादी / रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर, दिनांक 20.3.2018 अंतर्गत वाद संख्या 138 / 2009.

उपस्थितः—

1. श्री मनीष खण्डेलवाल वकील अपीलांट ।
2. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।
4. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 व 4.

निर्णय

दिनांकः—24.4.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.3.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादिया / रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधी0न्याया0 में वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राज0काश्त0अधि0 के अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 2 से 4 के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि खाता संख्या 371 नया 345 पुराना खसरा संख्या 1471 रकबा 17 बिस्वा, 1472 रकबा 2 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 1473 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा तथा 1474 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी कुल किता 4 कुल रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम किरानीपुरा, तहसील व जिला अजमेर में स्थित है । उक्त आराजी के खातेदार वादिया / रेस्पो0 संख्या 1 एवं प्रतिवादी संख्या 1 / अपीलांट व प्रतिवादी संख्या 2 / रेस्पो0 संख्या 2 के पिता स्व0 जवाहरसिंह पुत्र राधाकिशन जाति माली जरिये नामांतकरण संख्या 4 दिनांक 4.2.1986 के अनुसार खातेदार दर्ज है ।

इस प्रकार उक्त आराजियात वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की बापोती खातेदारी है । उक्त आराजी के खातेदार जवाहरसिंह का स्वर्गवास होने के उपरांत जवाहरसिंह के वारिसान श्रीमती भंवरीबाई पत्नि जवाहरसिंह, ओमप्रकाश, पन्नालाल एवं श्रीमती रज्जोदीव के नाम विरासती नामांतकरण संख्या 393 दिनांक 5.12.2007 स्वीकृत किया जाकर वर्किंग जमाबंदी में दर्ज किया गया । तत्पश्चात् श्रीमती भंवरीबाई का स्वर्गवास हो जाने के कारण उक्त वर्णित भूमि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त हिस्सेदारी की अविभाजित कृषि भूमियां है । वादिया द्वारा उक्त भूमि आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाने का बार–बार मौखिक निवेदन किया गया परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा बंटवारा नहीं किया गया बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादिया को धमकी दी गई कि वह वादिया के हिस्से की भूमि सहित समस्त भूमि का अन्य को बैचान, हस्तातंरण कर देगा तथा आज भी बैचान व हस्तातंरण पर आमादा है । अतः वादपत्र में दर्शाये अनुसार विवादित आराजियात का वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य बंटवारा किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने दिनांक 5.5.2011 को वादिया का वाद डिक्री कर प्राथमिक डिक्री पारित की । उक्त प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई । उक्त अपील में हाजा न्यायालय ने दिनांक 5.6.2012 को निर्णय पारित करते हुए प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने हेतु प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया । तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 1/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष मूल वाद मं उपस्थिति दी जाकर आपत्तियां बाबत् प्राथमिक डिक्री प्रस्तुत की गई । उक्त आपत्तियों पर वादिया द्वारा वजाब प्रस्तुत किया गया । अधी0न्याया0 द्वारा दिनाक 20.3.2018 का` उक्त आपत्तियों पर तथा अंतिम डिक्री हेतु बहस सुनी जाकर दिनांक 20.3.2018 को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को निरस्त करते हुए अंतिम डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. अपील के विचाराधीन रहते विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में चार विक्रय पत्र दिनांक 28.11.2018 एवं छः विक्रय पत्र दिनांक 15.10.2018 के है जिसके अनुसार 341.66 वर्गगज का भूखण्ड संजय शर्मा, राजेश शर्मा, रवि भाटी व नीलमसिंह को दिनांक 28.11.2018 को एवं द्वितीय भूखण्ड 133.33 वर्गगज का श्रीमती पूजा टांक को दिनांक 28.11.2018 को, तीसरा भूखण्ड 97.50 वर्गगज का संजय शर्मा, राजेश शर्मा, रवि भाटी, एवं नीलमसिंह को दिनांक 28.11.2018 को, चौथा भूखण्ड 332.96 वर्गगज का संजय शर्मा, राजेश शर्मा, रवि भाटी, एवं नीलमसिंह को दिनांक 28.11.2018 को एवं पांचवा भूखण्ड 305.90 वर्गगज का संजय शर्मा, राजेश शर्मा, रवि भाटी, एवं नीलमसिंह को दिनांक 28.11.2018 को, छठा भूखण्ड 158.00 वर्गगज का संजय शर्मा, राजेश शर्मा, रवि भाटी, एवं नीलमसिंह को दिनांक 28.11.2018 को, सांतवा भूखण्ड 98.12 वर्गगज श्यानू माली पत्नि ओमप्रकाश को दिनांक 15.10.2018 को एवं आठवां भूखण्ड 115.00 वर्गगज जयपालसिंह को, नंवा भूखण्ड 121.32 वर्गगज रेखा शर्मा पुत्री हीरालाल शर्मा को दिनांक 15.10.2018 एवं दसवां भूखण्ड 163.55 वर्गगज का वास्तुपाल जैन पुत्र ताराचंद गंगवाल को दिनांक 15.10.2018 को विक्रय कर कब्जा व

दखल दिया गया है एवं जो अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में है इस कारण रिकार्ड पर रखे जावे । प्रार्थना पत्र के साथ मान0 उच्चत्तम न्यायालय का आदेश एस0एल0पी0संख्या 8991/2018 दिनांक 27.4.2018 जो कि अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में ओमप्रकाश की रिट पीटिशन अपीलाधीन भूमि के संबंध में खारिज की गई की प्रति प्रस्तुत की । उक्त दस्तावेजात न्याय व निर्णय हेतु सहायक दस्तावेज है जिन्हें पत्रावली पर लिये जाने के आदेश प्रदान करे । यह भी कथन किया कि उपरोक्त क्रेतागण को पक्षकार बनाये यह अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

5. जवाब में विद्वान वकील अपीलांट ने कथन किया कि दौराने अपील भूमि विक्रय की गई है इस कारण दस्तावेजों को पत्रावली पर नहीं लिया जावे।

6. उक्त प्रार्थना पत्र के जवाबउलजवाब में विद्वान वकील प्रार्थी/रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया था जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 11.4.2018 को निरस्त कर दिया गया है तथा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत विक्रय पत्र स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने के बाद के है ।

7. हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात पर मनन किया । उक्त दस्तावेजात पंजीबद्ध विक्रय पत्र है जो विवादित भूमियों से संबंधित है । अपीलांट द्वारा भी इस तथ्य से इंकार नहीं किया गया है कि उक्त दस्तावेजात विवादित भूमियों से संबंधित नहीं हो अथवा संदेहास्पद हो । उपरोक्त दस्तावेजात अपील प्रस्तुति के बाद के होकर न्याय एवं निर्णय हेतु अतिआवश्यक दस्तावेज है जिन्हें रिकार्ड पर लिया जाना उचित समझते है एवं दूसरा दस्तावेज दस्तावेज न होकर मान0 उच्चत्तम न्यायालय का पक्षकारान के मध्य अपीलाधीन भूमि के विवाद के संबंध निर्णय है जो सुसंगत है । अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

8. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा प्राथमिक डिक्री तथा निर्णय दिनांक 5.5.2011 में बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने बाबत् तहसीलदार, अजमेर को निर्देशित किया गया परन्तु तहसीलदार द्वारा राज0काश्त0 (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के बजाय पटवारी हल्का द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.7.2014 के आधार पर ही अंतिम डिक्री पारित कर दी गई जबकि उक्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 14.7.2014 तहसीलदार अजमेर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित भी नहीं किया गया है । अधी0न्याया0 द्वारा उक्त विधिक प्रावधान को पूर्णत् नजरअंदाज कर मनमाने तौर पर मात्र प्रकरण का निस्तारण करने के उद्देश्य से आक्षेपित अंतिम डिक्री व निर्णय पारित किया गया है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित आक्षेपित प्राथमिक डिक्री व निर्णय दिनांक 5.5.2011 तथा अंतिम डिक्री व निर्णय दिनांक 20.3.2018 पत्रावली पर उपलब्ध नामांतरकण संख्या 393 दिनांक 5.12.2007 प्रदर्श–2 पर आधारित है । पत्रावली पर अपीलांट एवं रेस्पो0 की माता भंवरीदेवी का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत है जिसमें भंवरी देवी की मृत्यु दिनांक 30.11.2007 को होना प्रमाणित है । तहसीलदार द्वारा मृत व्यक्ति के संबंध में नामांतकरण का आदेश पारित किया गया है जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मृत व्यक्ति के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । अधी0न्याया0 के समक्ष वादिया द्वारा वादग्रस्त आराजी के विभाजन का वाद हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 की धारा 6 के संशोधन दिनांक 9.9.2005 का अनुचित लाभ प्राप्त करने की बदनियति से प्रस्तुत किया गया है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादिया

द्वारा अपने पिता जवाहरसिंह के निधन की तारीख का अंकन वादपत्र में नहीं किया गया जबकि वादिया एवं प्रतिवादीगण के पिता का निधन दिनांक 13.2.1997 को हुआ था परन्तु वादिया द्वारा बदनियतिपूर्वक लगभग 10 वर्ष बाद अपीलांट की जानकारी के बिना फर्जी नामांतकरण संख्या 393 दिनांक 5.12.2007 को अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया गया। उक्त नामांतकरण संख्या 393 के आधार पर वादिया द्वारा अपीलांट का हक व हिस्सा हड़प करने की नियत से उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है । अपीलांट द्वारा वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 2 के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 57/2018 दर्ज करायी गई जिसकी प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत होने के बावजूद अधी0न्याया0 द्वारा उक्त तथ्य को पूर्णत नजरअदांज कर मनमाने तौर पर विधि के प्रतिकूल अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो निरस्तनीय है । विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात अपीलांट तथा रेसपो0 संख्या 2 की पुश्तैनी सम्पति है तथा वादिया द्वारा उक्त सम्पति को बापोती होना कथित करते हुए विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है । वादिया एवं प्रतिवादीगण के पिता जवाहरसिंह का निधन हिन्दु उत्तराधिकार अधी0 की धारा 6 के संशोधन की दिनांक 9.9.2005 से पूर्व दिनांक 13.2.1997 को हो गया था था इस कारण वादग्रस्त आराजी के संबंध में उक्त संशोधन लागू नहीं होने से वादिया का वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का हक, हिस्सा नहीं होने से विभाजन का वाद पोषणीय नहीं होने के बावजूद भी अधी0न्याया0 द्वारा उक्त तथ्य तथा मान0 उच्चतम न्यायालय एवं मान0 उच्च न्यायालय के न्याय निर्णयन को मनमाने तौर पर नजरअदांज कर आक्षेपित निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है ।

9. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में आगे कथन किया कि हाजा न्यायालय द्वारा उक्त राजस्व वाद की प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत पूर्व अपील में पारित निर्णय दिनांक 5.6.2012 में अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने का निष्कर्ष दिया गया था । उक्त निर्णय की अनुपालनामें अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष आपत्तियां बाबत् प्राथमिक डिक्री प्रस्तुत कर साक्ष्य व सुनवाई हेतु बाबत् समस्त सम्यक प्रयास किये गये तथा पटवारी द्वारा तैयार कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 14.7.2014 पर आपत्ति की गई परन्तु अधी0न्याया0 द्वारा अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय की अनुपालना में अपीलांट के मूल वाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया इसलिये अधी0न्याया0 का आक्षेपित निर्णय विधि के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। अपीलांट द्वारा दिनांक 8.3.2018 को अधी0न्याया0 के समक्ष वादिया के विरूद्ध दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट, सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज उपलब्ध कराये जाने के कारण प्रस्तुत द्वितीय अपील की प्रतियां एवं अन्य दस्तावेज पेश किये गये । उक्त सभी दस्तावेजों के संबंध में अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया गया । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को जवाबदावा प्रस्तुत कर प्रकरण में प्रतिरक्षा करने का अवसर भी नहीं दिया गया जो माननीय न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट ने प्राथमिक डिक्री बाबत् आपत्तियां पेश की किन्तु अधी0न्याया0 ने दिनांक 20.3.2018 को को ही उक्त आपत्तियां निस्तारित करते हुए अंतिम डिक्री बाबत् बहस सुने बिना अंतिम डिक्री भी पारित कर दी जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.3.2018 को निरस्त करते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 5.6.2012 की अनुपालना में साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जवाबदावा प्रस्तुत कर प्रतिरक्षा किये जाने का अवसर प्रदान करने बाबत्

आदेश न्यायहित में पारित किया जावे । अपने कथनों के संबंध में विद्वान वकील अपीलांट ने 2017 (1) आर0आर0टी0 पेज 689 एवं 2016–17 सप्लीमेंट आर0आर0टी0 पेज 711, 2017 (2) आर0आर0टी0 पेज 1047, 2018 (2) आर0आर0टी0 पेज 1310, 2011 (2) आर0आर0टी0 पेज 765, 2019 (1) आर0आर0टी0 पेज 217, 2013 (2) आर0आर0टी0 पेज 1174 एवं 2013 (1) आर0आर0टी0 पेज 121 प्रस्तुत की ।

10. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है । अपीलाधीन भूमि खसरा नंबर 1471 रकबा 0–17–0, 1472 रकबा 0–2–10 चाह, 1474 रकबा 1–9–0, 1474 रकबा 1–16–10 कुल रकबा 4–5–00 बीघा ग्राम किरानीपुरा, तह0 व जिला अजमेर स्थित है जिसके संबंध में अधी0न्याया0 के समक्ष रज्जोदेवी रेस्पो0 संख्या 1 के द्वारा बंटवारे का वाद पेश किया गया जो वाद अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 5.5.2011 को स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी की गई जिसके अनुसार अपीलाधीन भूमि में रेस्पो0 संख्या 1 वादिया का 1/3 हिस्सा, ओमप्रकाश का 1/3 हिस्सा व पन्नालाल का 1/3 हिस्सा घोषित किया गया एवं कुरेजात रिपोर्ट हेतु आदेशित किया गया । इस निर्णय व प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष नियमित राजस्व अपील 428/2011 ओमप्रकाश बनाम रज्जोदेवी प्रस्तुत की गई जो मान0 न्यायालय द्वारा दिनांक 5.6.2012 को यह निर्णय पारित किया कि 'अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 5.5.2011 इस तरह संशोधित की जाती है कि कुरेजात रिपोर्ट बनाते समय यदि प्रत्यर्थीगण द्वारा भूमि बेचान कर दी है तो प्रथमतः रिक्त भूमि में से अपीलांट का 1/3 हिस्सा निर्धारित किया जावे तत्पश्चात् शेष भूमि में प्रत्यर्थीगण के पक्ष में अवशेष भूमि का बंटवारा विधिवत् किया जावे । तद्नुरूप कुरेजात प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री बाद सुनवाई पारित की जावे । इस निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपीलांट द्वारा मान0 राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 1758/2017 प्रस्तुत की गई जिसे मान0 मण्डल द्वारा मियाद के बिन्दु पर दिनांक 27.4.2017 को निरस्त कर दिया गया । इसके विरूद्ध तत्पश्चात् अपीलांटस द्वारा मान0 राज0उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष एस0बी0सिविल रिट पीटिशन संख्या 7429/17 प्रस्तुत की जो मान0 उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनांक 19.5.2017 को निरस्त कर अधी0न्याया0 का निर्णय यथावत् रखा है इसके पश्चात् अपीलांट के द्वारा मान0 राज0उच्च न्यायालय के समक्ष डी0बी0 सिविल अपील संख्या 1021/17 प्रस्तुत की जो भी निर्णय दिनांक 12.1.2018 द्वारा निरस्त कर दी गई है जिसके विरूद्ध अपीलांट मान0 उच्चत्तम न्यायालय के समक्ष उपरोक्त सभी अधी0न्यायालयों के निर्णय के विरूद्ध रिट याचिका संख्या एस0एल0पी0 8991/2018 प्रस्तुत की जिसे भी मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 27.4.2018 को निरस्त कर दिया गया । इस प्रकार अपीलाधीन भूमि के संबंध में अधी0न्याया0 एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत् रहे एवं रेस्पो0 संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं अपीलांट का 1/3 हिस्सा एवं पन्नालाल का 1/3 हिस्सा मान0 उच्चतम न्यायालय तक यथावत् रहा है । इस कारण अपीलांट का यह कथन कि वादिया रज्जोदेवी कोपार्सनर नहीं है तथा पिता का स्वर्गवास 2005 के पूर्व हो जाने के कारण वादिया को संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत हिस्सा प्राप्त नहीं होगा स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त सभी तथ्य प्राथमिक डिक्री के संबंध में है जिसका अंतिम रूप से निस्तारण मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा कर दिया गया है एवं रेस्पो0 संख्या 1 का 1/3 हिस्सा यथावत् रखा गया है । इस कारण इस हस्तगत अंतिम डिक्री की अपील में अपीलांट का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है । विद्वान

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने यह भी कथन किया कि मान0 न्यायालय द्वारा अधी0न्याया0 को जिस दिशा निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया था उसकी अनुपालना में अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया एवं अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 11 नियम 12 व 14 सपठित धारा 151 जा0दी0 दिनांक 24.9.2015 को प्रस्तुत किया जिसे अधी0न्याया0 द्वारा दिनांक 4.1.2016 को निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा मान0 राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी याचिका संख्या 1018/2016 पेश की गई जो दिनांक 24.2.2016 को निरस्त की गई । इसके पश्चात् अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष आपत्ति दिनांक 19.5.2015 को प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलांट द्वारा यह आपत्ति ली कि जवाहरलाल द्वारा अपने जीवनकाल में मौखिक विभाजन करते हुए एक भूखण्ड 268.88 वर्गगज रज्जोदेवी को दे दिया गया तथा अब कोई शेष हिस्सा रज्जोदेवी का नहीं रहा एवं यह भी कथन किया कि विरासत नामांतकरण संख्या 393 दिनांक 5.12.2007 में भंवरीदेवी का नाम गलत स्वीकृत किया गया है जबकि भंवरीदेवी का पूर्व में ही स्वर्गवास हो चुका था । नामांतकरण मृतक के विरूद्ध गलत तस्दीक किया गया है । यह भी कथन किया कि अपीलाधीन भूमि में 1/2 हिस्सा ओमप्रकाश का एवं 1/2 हिस्सा पन्नालाल का ही है, 1/3 हिस्सा रज्जोदवी का गलत घोषित किया गया है एवं यह भी कथन किया कि आराजियात के विभाजन किये जाने के संबंध में नोटिस दिनांक 15.6.2009 को दिया गया जिसे वादिया द्वारा लेने से इंकार कर दिया गया । आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 की प्राथमिक डिक्री से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस एवं प्रतिरक्षा का अवसर नहीं दिया गया एवं आपत्ति के पैरा संख्या 10 में यह भी कथन किया कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया है परन्तु कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 14.7.2014 जो बंटवारा प्रस्ताव तलब किया गया है वह विधि के प्रतिकूल है । इस प्रकार अपीलांट द्वारा अपने सारे उज्र अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र में ले लिये गये थे जिसका जवाब रेसपो0 संख्या 1 द्वारा दिया गया था । अधी0न्याया0 द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 3.6.2016 को गुणावगुण पर निर्णय पारित कर बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 14.7.2014 को सही मानते हुए अपीलांट का आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किये । इस आदेश दिनांक 3.6.2016 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा निगरानी आवेदन पत्र 5831/2016 मान0 मण्डल में प्रस्तुत की जिसे दिनांक 28.2.2017 को निरस्त किया गया एवं उक्त दोनों निर्णयों के विरूद्ध अपीलांट द्वारा मान0 राज0उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 5249/17 प्रस्तुत की जिसे अपीलांट स्वंय के द्वारा दिनांक 8.5.2017 को नोटप्रेस में खारिज करवा लिया गया । इस कारण अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देकर अंतिम डिक्री पारित की गई है जिसके विरूद्ध इस अंतिम डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में पुनः उन्हीं बिन्दुओं को उठाया गया है जो स्वीकार्य नहीं है । अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवयकता नहीं है । अतः अपीलांट निरस्त की जावे । इस संबंध में विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा ए0आई0आर0 2018 कलकत्ता पेज 217 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर कथन किया कि अपील न्यायालय द्वारा यदि अपील को किसी भी तकनीकी बिन्दू पर मियाद अथवा डिफाल्ट में खारिज कर दिया है तो अधी0न्याया0 का निर्णय अपीलीय न्यायालय के निर्णय में मर्ज हो जावेगा एवं डॉक्टराईन ऑफ मर्जर एवं रेसज्येडिकेटा का सिद्धांत लागू होता है।

11. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि

अपीलाधीन भूमि के संदर्भ में अधी0न्याया0 द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 5.5.2011 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रथम अपील हाजा न्यायालय में पेश की गई जिसे हाजा न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 5.6.2012 को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किया कि ''अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है एवं अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 5.5.2011 इस तरह संशोधित की जाती है कि कुरेजात रिपोर्ट बनाते समय यदि प्रत्यर्थीगण द्वारा भूमि बेचान कर दी है तो प्रथमतः रिक्त भूमि में से अपीलांट का 1/3 हिस्सा निर्धारित किया जावे तत्पश्चात् शेष भूमि में प्रत्यर्थीगण के पक्ष में अवशेष भूमि का बंटवारा विधिवत् किया जावे । तद्नुरूप कुरेजात प्राप्त होने पर अंतिम डिक्री बाद सुनवाई पारित की जावे ।'' हाजा न्यायालय के उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा मान0 राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 1758/2017 प्रस्तुत की गई जिसे मान0 मण्डल द्वारा मियाद के बिन्दु पर दिनांक 27.4.2017 को निरस्त कर दिया गया । मान0 मण्डल के निर्णय के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा मान0 राज0उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष एस0बी0सिविल रिट पीटिशन संख्या 7429/17 प्रस्तुत की जो मान0 उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनांक 19.5.2017 को निरस्त कर अधी0न्याया0 का निर्णय यथावत् रखा है इसके पश्चात् अपीलांट के द्वारा मान0 राज0उच्च न्यायालय के समक्ष डी0बी0 सिविल अपील संख्या 1021/17 प्रस्तुत की जो भी निर्णय दिनांक 12.1.2018 द्वारा निरस्त कर दी गई है जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा मान0 उच्चत्तम न्यायालय के समक्ष उपरोक्त सभी अधी0न्यायालयों के निर्णय के विरूद्ध रिट याचिका संख्या एस0एल0पी0 8991/2018 प्रस्तुत की जिसे भी मान0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 27.4.2018 को निरस्त कर दिया गया । इस प्रकार अपीलाधीन भूमि के संबंध में अधी0न्याया0 एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश यथावत् रहे एवं रेस्पो0 संख्या 1 का 1/3 हिस्सा एवं अपीलांट का 1/3 हिस्सा एवं पन्नालाल का 1/3 हिस्सा मान0 उच्चतम न्यायालय तक यथावत् रहा है। इस कारण अपीलांट का यह तर्क कि नामांतकरण संख्या 393 दिनांक 5.12.2007 भंवरीदेवी की मृत्यु के कारण गलत व अवैध होना स्वीकार योग्य नहीं है । यह भी स्वीकार योग्य नहीं है कि भंवरीदेवी को संशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के अनुसार कोई लाभ प्राप्त हो सकता हो क्योंकि प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा जो चाराजोही की गई है जिसके अनुसार प्राथमिक डिक्री में रेस्पो0 संख्या 1 को जो 1/3 हिस्सा दिया गया है वह मान0 उच्चत्तम न्यायालय तक बहाल रहा है । इस कारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें 2017 (2) आर0आर0टी0 पेज 1047 कि मृतक के विरूद्ध निर्णय शून्य है एवं 2018 (2) आर0आर0टी0 पेज 1310 जिसके अनुसार जो व्यक्ति कोपार्सनर नहीं है वह हिस्से का अधिकारी नहीं है एवं 2011 (2) आर0आर0टी0 पेज 765 जिसके अनुसार हिन्दू विधवा की पुनः मेरिज होने पर पुश्तैनी भूमि में अधिकार नहीं रहेगा एवं 2019 (1) आर0आर0टी0 पेज 217 जिसके अनुसार नोन स्पीकिंग आर्डर आदेश की परिभाषा में नहीं आता है एवं 2013 (2) आर0आर0टी0 पेज 1174 जिसके अनुसार बिना कारण बताये पारित निर्णय अवैध व गलत है एवं 2013 (1) आर0आर0टी0 पेज 121 न्यायहित में सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है अपीलांट द्वारा उपरोक्त की गई समस्त चाराजोही के अनुसार तथ्यों की भिन्नता के कारण चस्पा नहीं होती है । जहां तक अपीलांट का यह कथन कि कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 14.7.2014 राज0काश्त0 (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) नियम 21 के अनुरूप तैयार न कर हल्का पटवारी द्वारा तैयार किये गये है जिसके आधार पर अधी0न्याया0 द्वारा अंतिम डिक्री दिनांक 20.3.2018 को पारित की गई है जो अविधिक होने से निरस्तनीय है, का कथन स्वीकार

योग्य नहीं है क्योंकि अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष अपने आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 19.5.2015 के पेरा संख्या 10 में विशिष्ट रूप से कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 14.7.2014 के विरूद्ध यह कथन किया कि पटवारी हल्का से मौका पर्चा तैयार कर बंटवारा प्रस्ताव मान0 न्यायालय द्वारा तलब कर लिया गया जो विधि के प्रतिकूल है आपत्ति उठाई गई थी जिसे अधी0न्याया0 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 3.6.2016 द्वारा निरस्त कर दी गई एवं इसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा निगरानी याचिका मान0 मण्डल में 5831/2016 पेश की गई जिसे मान0 मण्डल द्वारा दिनांक 28.2.2017 को निरस्त कर दिया गया तथा मान0 मण्डल के निर्णय के विरूद्ध अपीलांट द्वारा मान0 राजस्थान उच्च न्याया0 जयपुर के समक्ष रिट याचिका संख्या 5239/17 पेश की गई जिसे स्वंय अपीलांट द्वारा दिनांक 8.5.2017 को नोट प्रेस में खारिज करवा लिया गया है जिससे स्पष्ट है कि स्वंय अपीलांट द्वारा यह बिन्दू पूर्व में उठाया गया था जिसे मान0 मण्डल द्वारा भी उपरोक्त निगरानी याचिका में निरस्त करते हुए अधी0न्याया0 का निर्णय दिनांक 3.6.2016 यथावत् रखा है एवं स्वंय अपीलांट द्वारा उपरोक्त कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 14.7.2014 के विरूद्ध जो रिट याचिका मान0 राज0उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष रिट पीटिशन संख्या 5239/17 में उठाई थी उसे स्वंय के द्वारा नोट प्रेस कर यानि समस्त आपत्तियों का परित्याग कर रिट याचिका खारिज करवा ली गई। अब अपीलांट पुनः उन्हीं बिन्दुओं को हाजा न्यायालय के समक्ष कानूनन नहीं उठा सकता है । इस कारण अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2017 (1) आर0आर0टी0 पेज 689 एवं आर0आर0टी0 2016–17 सप्लीमेंट आर0आर0टी0 पेज 711 प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा नही होती है । अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत ए0आई0आर0 2018 पेज 217 जो कि ए0आई0आर0 1966 सुप्रीमकोर्ट पेज 1332 जो कि पांच जजों की बेंच द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर पारित किया गया के पेरा संख्या 20 के अनुसार '' We are therefore of opininin that where a decision is given on the merits by the trial court and the matter is taken in appeal and the appeal is dismissed on some preliminary ground, like limitation or default in printing, it must be held that such dismissal when it confirms the decision of the trial court on the merits itself amounts to the appeal being heard and finally decided on the merits whatever may be the ground for dismissal of the appeal. ''उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

12. उपरोक्त विवेचन के अनुसार एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्णयों एवं मान0 उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित उपरोक्त निर्णयों व आदेशों के परिप्रेक्ष्य में एवं मान0 उच्चतम न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में पारित निर्णय के परिप्रेक्ष्य में अधी0न्याया0 द्वारा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.3.2018 विधिसम्मत् पाई जाती है ।

13. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.3.2018 यथावत् रखी जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

14. निर्णय आज दिनांक 24.4.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।